न्यायालय श्रीमान् राजस्वमण्डल, ग्वालियर म॰प्र॰

- निग॰1968-I/16

निगरानी प्र॰क्र॰-   सन् 2016॰

भागवती पत्नि भवानीदीन बसोर

निवासी- ग्रामधौरी तह॰ व जिला छतरपुर म॰प्र॰ ..निगरानीकर्ता

// विरूद्ध //

म॰प्र॰शासन   .. अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म॰प्र॰ भू॰रा॰संहिता 1959॰

- -

निगरानी विरूद्ध आदेश मान॰अपर कलेक्टर छतरपुर के प्र॰क्र॰-12/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10॰06॰16 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत है :-

महोदय,

निगरानीकर्ता की ओरसे निम्न प्रार्थना है -

1:- यहकि प्रकरण के तथ्य इस प्रकारहै किभूमि ख॰नं॰ 1313/5/2 रकवा 1॰00 हेक्टेयर स्थित ग्राम धौरी, तहसील वाजिला छतरपुर के भूमि आवेदिका के भूमि स्वामी स्वामित्व एवं आधिपत्य वा कब्जे की भूमि है ।

2:- यहकि आवेदिका अपने भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा 1313/5/2 रकवा 1॰00 हेक्टेयर भूमि अपनी पुत्री की शादी हेतु विक्रय की अनुमति हेतु आवेदनपत्र मान॰अपर कलेक्टर महोदय के न्यायालय, छतरपुर में प्रस्तुत किया था जिसमें स्पष्ट रूप से लेख किया था कि आवेदिका के पति [redacted] के बीमार होने के कारण परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है जिस कारण से बच्ची

आज दि. 21/06/16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1968/एक/2016 निगरान जिला छतरपुर

दिनांक तथा क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-7-16	यह निगरानी कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 12/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 10-6-16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर छतरपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देकर उसके नाम की ग्राम धौरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1313/5/2 रकबा एक हैक्टर के विकय की अनुमति दिये जाने की मांग की। कलेक्टर छतरपुर ने प्रकरण कमांक 12/अ-21/15-16 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 10-6-16 पारित करके आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं। 3/ आवेदक की अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ आवेदक की अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम धौरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1313/5/2 रकबा एक हैक्टर आवेदक को पट्टे पर मिली भूमि नहीं है वरण् उसके पिता के नाम से उसे प्राप्त हुई है एंव भूमिस्वामी	

स्वत्व की भूमि है उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक ने भूमि का विक्रय श्रीमती नईमा खातून पत्नि फजलुर्रहमान खान निवासी पुलिस लायन छतरपुर को कर दिया है कलेक्टर छतरपुर से मात्र विक्रय की औपचारिक स्वीकृती मांगी गई है जिसे न देने में उन्होंने भूल की है।

शासन के पैनल लायर ने बताया कि भले ही शासकीय अभिलेख में भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है परन्तु वह अनुसूचित जाति की महिला है इसलिये बिना अनुमति के विक्रय अवैध है जिसके कारण तहसीलदार ने विक्रय पत्र पर से नामान्तरण नहीं किया है। उन्होंने कलेक्टर के आदेश को उचित बताते हुये निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि ग्राम धौरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1313/5/2 रकबा एक हैक्टर आवेदक की पट्टे की भूमि नहीं है वरण् उसके पिता से उसे प्राप्त है एंव भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिसके कारण उप पंजीयक ने विक्रय पत्र दिनांक 17 मई 2013 संपादित किया है। चूँकि जब भूमि विकीत हो चुकी है एंव विकेता आवेदक व्दारा केता से विक्रय धन प्राप्त कर लिया है तब क्या आवेदक को औपचारिक रूप से विक्रय अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन है ?

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्व म0प्र0राज्य तथा एक अन्य 2013 रा0नि0-8 - माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि :-

IX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 1968/एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

"(1) भू–राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)–धारा 165 (7–ख) तथा 158 (3) का लागू होना – उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये – बिना अनुमति के भूमि का अंतरण – उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – उपबंध आकर्षित नहीं होते – भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

(2) विधि का निर्वचन – का सिद्धांत – नवीन उपबंध का अंतःस्थापन – भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया – ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।"

(2) दयाली तथा एक अन्य विरूद्ध महिला श्यामावाई 2004 रा0नि0 183 में व्यवस्था दी गई है कि भू राजस्व संहिता 1959(म0प्र0) – धारा 165 (7–ख) – सरकारी पटटेदार व्दारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमिस्वामी अधिकार अर्जित किये – भूमि का विकय कर सकता है – कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

जब कि विचाराधीन भूमि पटटे की भूमि न होकर विरासत में प्राप्त भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिसके कारण वादग्रस्त भूमि के विकय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 12/अ–21/15–16 में पारित आदेश दिनांक 10–6–16 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव आवेदक को उसके स्वामित्व की ग्राम धौरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1313/5/2 रकबा एक हैक्टर के विकय की औपचारिक अनुमति प्रदान की जाती है ।

सदस्य